राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

"महाराणा प्रताप पुरस्कार"
(खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु नियम)

1. प्रस्तावना :–

इस नियम को खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदत "महाराणा प्रताप पुरस्कार नियम" कहा जायेगा।

2. उद्देश्य :–

इस पुरस्कार का उद्देश्य खेल और खेलों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों व खेलों को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है।

3. परिभाषाऐं :–

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

अ. "नियम" से आशय खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदत "महाराणा प्रताप पुरस्कार" के नियम।

ब. "समिति" से आशय नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति।

स. "पुरस्कार" से आशय महाराणा प्रताप पुरस्कार।

द. "अध्यक्ष" से आशय नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति के अध्यक्ष।

य. "परिषद" से आशय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर।

र. "खेल प्रशासक" से आशय वह व्यक्ति जो खेलों के प्रबंधन/राष्ट्रीय प्रशासन/अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों, खेल संस्थाएं जिसमें निजी खेल अकादमियां, खेल योजनाएं तथा जो खेलों के लिए सेवाऐं देते हो।

ल. "महाराणा प्रताप पुरस्कृत" से आशय वह व्यक्ति जो परिषद द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।

4. पात्रता :–

4.1 महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे गत चार वर्षों में अच्छा व पुरस्कार प्राप्त करने के लिये वर्ष में अपने खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। खेल प्रदर्शन के अलावा खिलाड़ी मे अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व गुण व मानवता के गुण भी विद्यमान हो।

Scanned with CamScanner

4.2 वह खिलाड़ी जो नेशनल एन्टी डोपिंग एजेन्सी (NADA) अथवा वर्ल्ड एन्टी डोपिंग एजेन्सी (WADA) अथवा इससे संबंधित एजेन्सी के द्वारा प्रयोगशाला में एकत्र नमूने के आधार पर प्रतिबंधित दवाओं/पदार्थों के उपयोग में दोषी पाया गया हो या जांच चल रही हो, इस पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।

4.3 इस पुरस्कार हेतु निम्नलिखित श्रेणी के तहत खिलाड़ी ही विचार योग्य होंगे –

- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता,
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी, एवं
- राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता
- उक्त के अतिरिक्त सामान्य एवं पैरा ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे ही अनिवार्य रूप से महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जावेगा।

5. नामांकन :–

5.1 प्रतिवर्ष परिषद् से मान्यता प्राप्त अथवा भारतीय खेल संघो के सम्बद्ध राज्य स्तरीय खेल संघो, राजस्थान ओलम्पिक संघ अथवा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र से अप्रेल माह में पुरस्कारों के लिए अपने–अपने खेल मे परिषद द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। इन आवेदनों के जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रेल या अप्रेल माह का आखरी कार्य दिवस होगा। ये संस्थाऐं अधिकतम 5 योग्य खिलाड़ियों के आवेदन दे सकती है। 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन मान्य नहीं होंगे अथवा प्रथम 5 खिलाड़ियों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।

5.2 संबंधित संस्थाऐं सभी आवेदन एक साथ और नियमों में उपरोक्त निर्धारित संख्या में ही भेजेंगे। 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन पर प्रथम 5 खिलाड़ियों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।

5.3 संस्थाओं से 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन प्राप्त होने पर भी अगर कोई योग्य आवेदन आये तो परिषद अपने सुरक्षित अधिकार के तहत विचार कर सकती है।

5.4 नामांकन भेजने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निम्नानुसार होंगे –

(i) राजस्थान ओलम्पिक संघ – अध्यक्ष/महा–सचिव।
(ii) राज्य खेल संघ – अध्यक्ष/महा–सचिव/अवैतनिक
(iii) जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र – खेल अधिकारी/प्रभारी
(iv) खेल रत्न अवार्डी
(v) अर्जुन अवार्डी
(vi) द्रोणाचार्य पुरस्कृत प्रशिक्षक
(vii) महाराणा प्रताप पुरस्कृत खिलाड़ी
(viii) विशेष परिस्थिति में खिलाड़ी स्वयं भी आवेदन कर सकते है।

Scanned with CamScanner

5.5 उपरोक्त वर्णित बिन्दू 5.4 के पदाधिकारी के अलावा नामांकन किये हुये अन्य किसी भी आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.6 यह पुरस्कार उसी कलैण्डर वर्ष के लिए दिये जायेंगे जिस वर्ष के लिए यह आमंत्रित किये गये है।

5.7 पिछले 4 वर्षों के अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी का प्रदर्शन परिषद द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में ही आवेदन/नामांकन कर भेजा जायेगा।

5.8 आवेदन भेजने वाली संस्थाओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि नामांकन करने वाले खिलाड़ी अनुशासित है अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या किसी निजी संस्था में कार्यरत है तो आवेदन भेजने वाली संस्था इन सभी से यह प्रमाणित करवा ले कि नामांकन करने वाले खिलाड़ी अनुशासित है अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नहीं है। यदि आवेदन करने वाले खिलाडी के खिलाफ नियुक्ता द्वारा कोई आरोप पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो उससे संबंधित पूर्ण की गई/लम्बित कार्यवाही का विवरण भी नियुक्ता से प्राप्त किया जावें। समिति द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात खिलाड़ी का चयन किया जावें।

5.9 खेल संघों के अलावा प्राप्त आवेदनों को संबंधित महासंघ/भारतीय ओलम्पिक संघ को भेजकर सत्यापन करेंगे कि आवेदन करने वाले खिलाडी की उपलब्धियों का पूर्ण विवरण अथवा खिलाडी के खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है। जैसे कि चेतावनी, दण्डित, उम्र धोखाधडी, डोपिंग, यौन उत्पीडन आदि।

6. नामांकन की पावती एवं रसीद :–

6.1 नामांकन के लिए आवेदन केवल सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को संबोधित किया जाना चाहिए तथा परिषद कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख ही परिषद द्वारा नामांकन की प्राप्ति की तारीख होगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों पर विधिवत मुहर लगाकर एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि को प्राप्त आवेदनों की जानकारी संबंधित संस्था को दी जायेगी।

7. नामांकनों की प्रारम्भिक जांच :–

बिन्दू 5.1 में वर्णित संस्थाओं के द्वारा प्राप्त आवेदनों को भारतीय ओलम्पिक संघ व खेल महासंघ में भेजा जाएगा। जहां पर कार्यालय दस्तावेजों में आवेदकों की उपलब्धियां व प्रदर्शन की जांच कर सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी।

8. जांच समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच :–

सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और परिषद के संबंधित खेल अधिकारी/खेल प्रबंधक को मिलाकर एक जांच समिति गठित की जाएगी। यह जांच समिति राज्य खेल संघों और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच करेगी जिसमें सतर्कता, अनुशासन, डोपिंग, प्रमाण पत्रों का प्रमाणिकरण तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सही पाये गये आवेदनों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

Scanned with CamScanner

9. चयन प्रक्रिया :–

9.1 राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा पुरस्कार हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा :–

1	अधक्ष, रा.रा.क्री.प. जयपुर	अध्यक्ष
2	शासन उप सचिव, खेल विभाग	सदस्य
3	अर्जुन अवार्डी	सदस्य
4	द्रोणाचार्य अवार्डी	सदस्य
5	क्रीडा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी एक खेल संघ के अध्यक्ष/सचिव	सदस्य
6	मुख्य खेल अधिकारी, रा.रा.क्री.प	सदस्य
7	खेल पत्रकार	सदस्य
8	सचिव, रा.रा.क्री.प. जयपुर	सदस्य सचिव

9.2 चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा जहां आवश्यक हो संबंधित विशिष्ट खेल विषयों के विशेषज्ञों से सलाह ले सकते है।

9.3 सीधे या परोक्ष रूप से पुरस्कार के लिए नामित खिलाड़ी से संबंधित कोई भी व्यक्ति खिलाड़ी के विषय में चयन समिति की बैठक में व विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

9.4 समिति अपनी स्वयं के काम की प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा–निर्देश/मापदण्ड प्रस्तुत करेगी यदि कोई हो।

9.5 समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष तथा समिति के सदस्यों का 75 प्रतिशत होगा।

9.6 समिति द्वारा यदि समिति की बैठक के विचार विमर्श के समय जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करने आवश्यकता पड़ने पर खेल अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

9.7 सभी चयन की प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। अध्यक्ष समिति द्वारा किए गए विचार विमर्श तथा चयन के सख्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए सचिव से परामर्श आवश्यक कदम उठा सकता है।

10. महाराणा प्रताप पुरस्कार की संख्या :–

10.1 महाराणा प्रताप पुरस्कार की एक वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार संख्या किया जाना प्रस्तावित है :–

- सामान्य खिलाडी – 5 (पुरूष/महिला)
- पैरा/डेफ/डम्प/ब्लाईण्ड खिलाडी – 2 (पुरूष/महिला)

Scanned with CamScanner

10.2 विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक खिलाड़ियों को भी एक खेल में पुरस्कृत किया जा सकता है किन्तु सामान्य एवं पैरा खिलाड़ियों को सम्मिलित कर अधिकतम 7 पुरस्कार तक ही सीमित कर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। चयन समिति द्वारा पुरस्कार हेतु योग्य खिलाड़ी चयन नहीं होने के उपरान्त पुरस्कार की संख्या 7 से कम की जा सकती है। जिस वर्ष ओलम्पिक, एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किये जाते है, उस वर्ष के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे ही महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु पुरस्कार की संख्या समिति की अनुशंषा पर समिति अध्यक्ष द्वारा बढायी जा सकती है।

11. सामान्य नियम :–

11.1 महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को परिषद द्वारा निश्चित व घोषित तारीख व स्थान पर "महाराणा प्रताप" की एक कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ती पत्र, ब्लेजर का कपडा, टाई व 5,00,000/–रू. नकद भेंट किया जावेगा साथ ही आने जाने का प्रथम श्रेणी का रेल किराया/बस किराया व स्थायी कन्वेन्स चार्जेज के लिए नकद देय होंगे। पुरस्कार विजेता खिलाड़ी राजस्थान खेल जगत मे विशिष्ठ व्यक्ति के रूप में सम्मान प्राप्त करेंगे।

11.2 किसी भी खिलाड़ी को महाराणा प्रताप पुरस्कार दो बार नहीं दिया जाएगा।

11.3 खिलाड़ी को मरणोपरान्त भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है।

11.4 परिषद पुरस्कार विजेताओं के नामों को अन्तिम रूप देने से पहले खिलाड़ियों का चरित्र सत्यापन अपने केन्द्रों के खेल अधिकारी/प्रभारी के मार्फत करवाएगा। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस विभाग से सहयोग प्राप्त करेंगे।

11.5 पुरस्कार वितरण समारोह के समय पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी स्वयं उपस्थित रहेगा, उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को यह पुरस्कार व पुरस्कार राशि नहीं दिया जाएगा। जो पुरस्कृत व्यक्ति किसी कारणवश पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित नहीं हो पाएगा वो बाद में यह पुरस्कार अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर से प्राप्त कर सकता है।

11.6 परिषद् द्वारा पुरस्कार दिये जाने के बाद उसे रद्द करने का भी पूरा अधिकार होगा। ऐसी दशा में पुरस्कृत खिलाड़ी को कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ती पत्र व पुरस्कार की राशि वापस जमा करानी होगी।

11.7 इन नियमो मे संशोधन, परिवर्तन आदि के लिए परिषद स्वतंत्र है तथा इसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है।

11.8 जिस खिलाड़ी का नाम महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए प्रेषित किया जाता है। समझा जाता है कि उसे ये सब महाराणा प्रताप पुरस्कार के नियम मान्य है।

11.9 किसी भी प्रकार की सिफारिश पुरस्कार के लिए अयोग्यता मानी जायेगी।

Scanned with CamScanner

11.10 अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा विशेष परिस्थितियों में इन नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार होगा जिसके लिए स्पष्ट कारण अभिलेखित करना होगा।

11.11 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को नाम, महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा कराना होगा। प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के कारण अगर खिलाडी पुरस्कार प्राप्त करने में विफल होता है तो उसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।

11.12 खिलाड़ी राजस्थान का मूल निवासी हो।

11.13 यह पुरस्कार प्रत्येक खेल में या प्रत्येक वर्ष हेतु दिया जाना आवश्यक नहीं है।

11.14 पुरस्कार हेतु सीनियर पुरूष (Men) एवं सीनियर महिला (Women) श्रेणी की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता या भाग लेने वाले खिलाड़ी ही पात्र होंगे यथा इस पुरस्कार हेतु यूथ/जूनियर/सब जूनियर प्रतियोगिताएं विचारणीय नहीं होगी।

11.15 नेशनल गेम्स एवं नेशनल चैम्पियनशिप के वहीं पदक विजेता पात्र होंगे जिन्होंने किसी अन्य राज्य की ओर से प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया हो किन्तु केन्द्र सरकार के अधीनस्थ किसी विभाग/उपक्रम/संस्था से भाग लिया हो परन्तु राजस्थान का मूल निवासी हो।

11.16 ऐसे खिलाड़ी पात्र नहीं होंगे जिन्हें किसी अन्य राज्य द्वारा समतुल्य (Equivalent) पुरस्कार दिया गया हो, या उसे किसी अन्य राज्य द्वारा उस राज्य का निवासी मानते हुए किसी प्रकार से पुरस्कृत किया गया हो।

11.17 पैरा खिलाड़ियों के लिए भी मापदण्ड सामान्य खिलाड़ियों के अनुसार बनाये गये नियम मान्य होंगे (जो पैरा खिलाड़ियों के लिए लागू होते है)

12. खिलाडियों को दिया जाने वाला महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए मापदण्ड

12.1 अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की महत्ता/भारिता (Weightage) निम्न क्रमानुसार होगी :

I. ओलम्पिक खेल (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/पैरा ओलम्पिक्स)

II. चार वर्षीय वर्ल्ड कप एवं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।

III. एशियन गेम्स

IV. कॉमनवेल्थ गेम्स

V. वार्षिक व द्वैवार्षिक (Annual/Biennial) वर्ल्ड चैम्पियशिप जिसका आयोजन संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा किया गया हो।

VI. एशियन चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।

Scanned with CamScanner

VII. कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।

VIII. साउथ एशियन गेम्स

IX. नेशनल गेम्स

X. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप जिसका आयोजन राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है उन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ अर्जित एक पदक को ही सम्मिलित किया जाएगा।

12.2 खेलों के चयन हेतु दो कैटेगरी निम्नानुसार होगी :

- **A** कैटेगरी में भारतीय ओलम्पिक संघ तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल शामिल होंगे।
- **B** कैटेगरी में जो खेल भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है परन्तु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, वह खेल शामिल होंगे।

12.3 महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए निर्धारित अंक :

क्र.सं.	स्पर्द्धा	पदक/अंक			
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	प्रतिभागी
1	ओलम्पिक	100	90	80	70
2	वर्ल्डकप/चैम्पियनशिप (4 वर्ष)	80	70	60	40
3	एशियन गेम्स	80	70	60	40
4	कॉमनवेल्थ गेम्स	80	70	60	40
5	वर्ल्ड चैम्पियनशिप (1 व 2 वर्ष)	70	60	50	20
6	एशियन चैम्पियनशिप	50	40	30	10
7	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप	50	40	30	10
8	साउथ एशियन गेम्स	30	20	15	–
9	नेशनल गेम्स	30	20	15	–
10	नेशनल चैम्पियनशिप	30	20	15	–

नोट :– 'B' कैटेगरी वाले खेलों को उपरोक्त सारणी में से 50 प्रतिशत अंक देय होंगे।

12.4 बिन्दू I, III, IV, VI – ओलम्पिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप उपरोक्त प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को यह पुरस्कार में वरीयता दी जाएगी।

12.5 उपर दी गई सूची के समतुल्य कोई प्रतियोगिता है तो चयन समिति निर्णय लेकर उपरोक्त सूची के 10 प्रतियोगिताओं के अनुसार अंक दे सकती है।

12.6 चयन समिति द्वारा दिये गये अंकों में 10% अंक खिलाड़ी की योग्यता व प्रतियोगिता के स्तर जिसमें उसने पदक प्राप्त किया हो तथा उसका खेल प्रदर्शन, अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व गुण व मानवता के गुण विद्यमान हो को अनुशंषा कर देय होगा।

Scanned with CamScanner

12.7 ओलम्पिक/एशियन गेम्स/राष्ट्रमण्डल खेलों में जिसमें क्रिकेट और स्वदेशी खेल शामिल नहीं है। चयन समिति क्रिकेट व स्वदेशी खेलों में पुरस्कार (अधिकतम 2) खिलाडियों का चयन उनके खेल प्रदर्शन, अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व गुण व मानवता के गुण को देखते हुए चयन कर सकती है।

12.8 चयन समिति उपरोक्त मापदण्डों में निर्धारित अंकों के अनुसार महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का अंतिम चयन करेंगी।

12.9 वहीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं विचारणीय होगी जिनमें कम से कम 6 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया हो।

12.10 वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं (National Championship) विचारणीय होगी जिसमें कम से कम देश के 12 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों (Union Territories) के खिलाड़ियों/दलों ने भाग लिया हो।

12.11 सिर्फ वही दलीय प्रतिस्पर्द्धा (Team Event) एवं एकल प्रतिस्पर्द्धा (Individual Event) विचारणीय होंगे, जिनमें कम से कम 6 खिलाड़ियों/दलों ने भाग लिया हो।

(डॉ. गोरधन लाल शर्मा)
(RAS)
सचिव

Scanned with CamScanner